भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2228

दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन

2228. **श्री राजीव राय:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों से चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभाव का कोई मूल्यांकन/विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्षित समूहों पर इन योजनाओं के प्रभाव में सुधार लाने के लिए की गई अथवा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2014 से 2019 के दौरान पूर्व में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का ऐसा कोई मूल्यांकन/विश्लेषण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) एवं (ख): योजना मंत्रालय के अंतर्गत विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) समय-समय पर केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन अध्ययन करता है। डीएमईओ ने पिछले 5 वर्षों (2020-25) के दौरान 150 योजनाओं (सीएस/सीएसएस) का मूल्यांकन अध्ययन पूरा कर लिया है। पिछले पांच (5) वर्षों (2020-25) के दौरान डीएमईओ द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का योजनावार विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ग) सिफारिशों/सुझावों के साथ ही, अंतिम मूल्यांकन रिपोर्टें, संबंधित प्रशासनिक/संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तथा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ साझा की जाती हैं।

हालाँकि, इन सिफारिशों/सुझावों का कार्यान्वयन कार्य संबंधित प्रशासनिक/संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डीएमईओ की इसमें कोई भूमिका नहीं है। हालाँकि, डीएमईओ, नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई ये सिफारिशें/सुझाव और की गई/की जाने वाली कार्रवाई मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए ईएफसी /एसएफसी नोटों में परिलक्षित होती हैं, जब ये योजनाएँ नवीनीकरण के लिए आती हैं।

(घ) और (ई) डीएमईओ (पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन) ने वर्ष 2014-19 के बीच 10 योजनाओं (सीएस/सीएसएस) का मूल्यांकन अध्ययन पूरा किया। वर्ष (2014-19) के दौरान डीएमईओ द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का योजनावार विवरण भी **अनुलग्नक-क** में दर्शाया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक (क)</u>

सरकारी योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन के संबंध में दिनांक 12.03.2025 को श्री राजीव राय द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 2228 के भाग (क और ख) तथा (घ और ङ) के उत्तर के लिए संदर्भित अनुलग्नक

<u>डीएमईओ द्वारा आयोजित किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का योजनावार विवरण</u>

क: योजना का नाम (सीएस/सीएसएस) (वर्ष 2020-25)	
केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएस)	
1. पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) 2. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना 3. खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) 4. एकीकृत कॉफ़ी विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) 5. प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास 6. रेशम समग्र 7. मसालों में निर्यात संवर्धन एवं गुणवत्ता सुधार तथा इलायची के अनुसंधान एवं विकास के लिए एकीकृत योजना। 8. टी बोर्ड स्कीम: 8.1. वृक्षारोपण विकास योजना (पीडीएस) 8.2. गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधीकरण योजना (क्यूयूपीडीएस) के साथ-साथ रूढ़िवादी उत्पादन सब्सिडी 8.3. बाजार संवर्धन योजना (एमपीएस) 8.4. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) 8.5. राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम (एनपीटीआर)	9. कॉयर विकास योजना 10. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) 11. मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) 12. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना (एसएफयूआरटीआई) 13. डीएसटी योजनाएं: 13.1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता 13.2. अनुसंधान एवं विकास योजना 13.3. नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास परिनियोजन 14. डीबीटी योजनाएं: 14.1. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास, 14.2. औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास 15. सीएसआईआर की क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास योजना 16. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना - उड़ान
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)	
1. एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम **यूसीएसएस मूल्यांकन पैकेज 1: कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र** 1. कृषि विपणन	

2. सूचना प्रौद्योगिकी
3. कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना
4. कृषि जनगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना
5. राष्ट्रीय बांस मिशन
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
7. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
8. तिलहन और पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन
9. कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना
10. जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना
11. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास
13. परम्परागत कृषि विकास योजना
14. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन
15. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
16. कृषि विस्तार पर उप-मिशन
17. कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन
18. पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप-मिशन
19. बीज एवं रोपण सामग्री पर उप-मिशन
20. डेयरी उद्यमिता विकास
21. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि
22. सहकारिता के माध्यम से डेयरी (ईएपी)
23. स्वदेशी नस्लें
24. पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण
25. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
26. राष्ट्रीय डेयरी योजना (ईएपी)
27. राष्ट्रीय डेयरी योजना-II
28. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
29. राष्ट्रीय गोजातीय उत्पादकता मिशन
30. राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम
31. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
32. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
33. राज्य सहकारी डेयरी संघों को सहायता
34. मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि
35. अंतर्देशीय मत्स्य पालन
36. मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन
37. समुद्री मत्स्य पालन

यूसीएसएस मूल्यांकन पैकेज 2: महिला एवं बाल

4. पोषण अभियान / राष्ट्रीय पोषण मिशन (आईएसएसएनआईपी सहित)
5. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
6. किशोरियों के लिए योजना
7. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु योजना
8. निर्भया फंड से मिली राशि
9. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
10. महिलाओं के लिए बजट व्यवस्था
11. महिलाओं के लिए बजट व्यवस्था और अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी
12. महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति
13. सूचना एवं जनसंचार
14. महिलाओं और बच्चों पर अभिनव कार्य (सामाजिक सुरक्षा)
15. महिला पुलिस स्वयंसेवक
16. महिला शक्ति केंद्र
17. वन स्टॉप सेंटर
18. निर्भया फंड से वित्तपोषित अन्य योजनाएं
19. अनुसंधान, प्रकाशन और अनुवीक्षण
20. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को समर्थन (एसटीईपी)
21. स्वाधार गृह
22. उज्ज्वला
23. महिला हेल्पलाइन
24. कामकाजी महिला छात्रावास

यूसीएसएस पैकेज 3: मानव संसाधन विकास

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)
3. सर्व शिक्षा अभियान
4. शिक्षक प्रशिक्षण और वयस्क शिक्षा
5. स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम
6. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना

विकास

आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्ववर्ती कोर आईसीडीएस)

1. आंगनवाड़ी सेवाएं (पूर्ववर्ती कोर आईसीडीएस)
2. बाल संरक्षण सेवाएँ
3. राष्ट्रीय क्रेच योजना

यूसीएसएस पैकेज 4: शहरी परिवर्तन

1. दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)
2. अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन)
3. स्मार्ट सिटी मिशन
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- शहरी

यूसीएसएस पैकेज 5: ग्रामीण विकास

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- ग्रामीण
3. अन्नपूर्णा योजना
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)
6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)
7. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
8. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (प्रशासनिक व्यय)
9. कार्यक्रम घटक
10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
11. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

यूसीएसएस पैकेज 6: पेयजल एवं स्वच्छता

1. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन
2. एसबीएम-ग्रामीण
3. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)- शहरी

यूसीएसएस पैकेज 7: स्वास्थ्य

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (राष्ट्रीय निवेश कोष से सहायता)
3. तृतीयक देखभाल कार्यक्रम
4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन
5. राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) (राष्ट्रीय निवेश कोष से सहायता)

यूसीएसएस पैकेज 9: जल संसाधन, पर्यावरण और वन

1. प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण (एनसीईएफ से वित्त पोषित)
2. वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (एनसीईएफ से वित्त पोषित)
3. हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनसीईएफ से वित्त पोषित)
4. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम
5. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
6. सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना के लिए सहायता
7. अटल भूजल योजना
8. बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)
9. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
10. हर खेत को पानी
11. प्रभाव आकलन अध्ययन
12. एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम
13. सिंचाई जनगणना
14. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- प्रति बूंद अधिक फसल
15. सीमा क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियाँ और कार्य

सीएसएस पैकेज 10: सामाजिक समावेशन, कानून और व्यवस्था और न्याय वितरण

1. शैक्षिक सशक्तिकरण
2. विशेष केंद्रीय सहायता
3. नागरिक अधिकार
4. आजीविका
5. बुनियादी ढांचे का विकास
6. जनजातीय शिक्षा
7. वनबंधु कल्याण योजना
8. विशेष केंद्रीय सहायता

6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) **यूसीएसएस पैकेज** 8: **नौकरियाँ और कौशल** 1. रोजगार सृजन कार्यक्रम 2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	**9.** जनजातीय शोध संस्थानों को सहायता **10.** पहुंच और इक्विटी **11.** शिक्षा सशक्तिकरण **12.** अल्पसंख्यकों का विकास - अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) **13.** पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं **14.** अन्य कमजोर समूहों के लिए योजनाएं **15.** पुलिस बलों का आधुनिकीकरण **16.** ग्राम न्यायालय **17.** न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं **18.** सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
ख: योजना का नाम (सीएस/सीएसएस) (वर्ष 2014-19)	
केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएस)	
1. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की प्रभावकारिता 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) 3. कृषि ऋण माफी योजना	
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)	
1. सूक्ष्म सिंचाई पर एकीकृत योजना 2. कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन 3. नई रोशनी - अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना 4. स्वच्छ भारत - ग्रामीण 5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर घटक) 6. भारत में शिक्षक शिक्षा (समग्र शिक्षा के तहत) 7. शिक्षा का सामंजस्यपूर्ण अधिकार एसएसए	

*****